भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 434
जिसका उत्तर मंगलवार 18 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

सीसीआई का पुनरुद्धार

434. श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेलंगाना राज्य सरकार से आदिलाबाद स्थित सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पुनरूद्धार का अनुरोध करते हुए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) जी, हां। सरकार को सीसीआई लिमिटेड की अदिलाबाद स्थित इकाई के पुनरुद्धार हेतु तेलंगाना राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रमुख सचिव, तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त हुए दिनांक 20.12.2016 के पत्र की प्रति संलग्न है।

(ग) सीसीईए ने सीसीआई की इकाइयों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के स्ट्रेटेजिक विक्रय के संबंध में निर्णय लिया है। तद्नुसार, डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई की इकाइयों के स्ट्रेटेजिक विक्रय की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सरकार को इस स्थिति के बारे में पत्र दिनांक10.01.2017 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचित कर दिया गया था तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि वे स्ट्रेटेजिक विक्रय हेतु बोली प्रक्रिया, जब और जहां प्रारंभ हो, में भाग लें।

*****

अ.शा. पत्र सं. 064/प्रधान सचिव पेशी/2016 दिनांक 20.12.2016

आदरणीय महोदय,

माननीय पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री, तेलंगाना सरकार के दिनांक 21.12.2015 और 11.05.2016 के पिछले पत्रों के अनुक्रम में, मैं यह आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि राज्य सरकार तेलंगाना राज्य आदिलाबाद जिले में स्थित सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के पुनरुद्धार की इच्छुक है।

यह ज्ञात हुआ है कि सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आदिलाबाद को बंद करने के संबंध में मामला सं. : 5487/07 की सुनवाई हैदराबाद के माननीय उच्च न्यायालय में 20.12.2016 को होनी निश्चित हुई है।

यह तत्कालीन इकाई आदिलाबाद में अवस्थित है जो एक पिछड़ा जिला है। कच्चा माल जिले में ही उपलब्ध है और राज्य इस इकाई के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जांच में सभी आवश्यक सहायता देगा।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय न्यायालय में भारत सरकार के किसी निर्णय/प्रतिक्रिया उस समय तक के लिए स्थगित रखी जाए जब तक इस इकाई की व्यवहार्यता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। उद्योग राज्य मंत्री ने जल्द ही भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री, भारत सरकार से भेंट करने का प्रस्ताव रखा है और इसलिए कृपया भारत सरकार का निर्णय उस समय तक स्थगित रखा जाए।

सादर

भवदीय

(अरविन्द कुमार)

श्री गिरीश शंकर, भा.प्र.से.
सचिव,
भारी उद्योग विभाग,
भारत सरकार
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003

अ.शा. सं.5(4)/2007-पी.ई.XII. खंड-II

दिनांक: 10 जनवरी, 2017

प्रिय श्री अरविन्द कुमार,

यह पत्र सचिव, भारी उद्योग को संबोधित सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आदिलाबाद सीमेन्ट फैक्टरी को बंद करने के संबंध में आपके दिनांक 20.12.2016 के अ.शा.पत्र सं. 064/प्रधान सचिव पेशी/2016 के संदर्भ में है।

2. मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग उपक्रमों की कार्यनीतिक बिक्री के संबंध में निर्णय लिया है, जिसमें सीसीआई की इकाइयां भी कार्यनीतिक बिक्री के लिए अभिज्ञात की गई हैं। भारी उद्योग विभाग सीसीआई की अलग-अलग इकाइयों की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण कर रहा है।

3. यदि तेलंगाना सरकार आदिलाबाद जिले में स्थित सीसीआई इकाई के पुनरुद्धार की इच्छुक है तो रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया जब भी आरम्भ होगी, उसमें बोली लगा सकती है।

4. उपर्युक्त के आलोक में, यह अनुरोध किया जाता है कि तेलंगाना सरकार के विधि अधिकारी को इस स्तर पर मामले में समुचित सलाह दी जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी विलंब के पूरी की जा सके।

सादर

भवदीय

(विश्वजीत सहाय)

श्री अरविन्द कुमार
सरकार के प्रधान सचिव,
औद्योगिक संवर्धन एवं खनन आयुक्त,
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,
तेलंगाना सरकार,
डी-ब्लॉक, दूसरा तल,
तेलंगाना सचिवालय,
हैदराबाद- 500 022

प्रति: सरकारी अधिवक्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, तेलंगाना सरकार को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।